

प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

कार्यालय आदेश

सरकारी नियमानुसार/निदेशानुसार इस चिकित्सा महाविद्यालय में डॉ० बसन्त कुमार सिन्हा, प्राध्यापक, बायाकेमेस्ट्री विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में एक Anti Ragging Committee का गठन किया जाता है, जिसमें पूर्व की भॉति सभी विभागाध्यक्ष एवं सभी वार्डेन (छात्र/छात्रा छात्रावास) सदस्य के रूप में नामित किए जाते हैं । आप सभी पदाधिकारी सतर्क एवं पूर्ण सजग रहेंगे, ताकि किसी भी परिस्थिति में इस महाविद्यालय परिसर में रैगिंग की घटना न होने पाए । रैगिंग संबंधी किसी भी सूचना पर यथाशीघ्र नियमानुसार कार्रवाई करें एवं तत्काल अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाए ।

विदित हो कि रैगिंग प्रत्येक परिस्थिति में Punishable हैं ।


ह०/—
प्राचार्य

ज्ञापांक:— 1634/17

दिनांक:— 10/8/19

प्रतिलिपि:—

- 1) सचिव, एम०सी०आई०, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2) प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3) अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
- 4) डॉ० बसन्त कुमार सिन्हा, प्राध्यापक, बायाकेमेस्ट्री विभाग—सह—अध्यक्ष, Anti Ragging Committee, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
- 5) सभी वार्डेन (छात्र/छात्रा छात्रावास) —सह—सदस्य, Anti Ragging Committee, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
- 6) Estate Officer/प्रभारी प्राध्यापक (परीक्षा)/ओ०एस०डी०, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- 7) I.T. Sec., श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।
- 8) कॉलेज सूचना पट्ट/छात्रावास सूचना पट्ट/वर्ग—व्याख्यान सूचना पट्ट


प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर